भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। जब भी उक्त भूमि पर काश्त करते है तो अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को गाली गलोच कर लडाई झगडा करते हुये भूमि को काश्त करने मे मजामहत मैदा करते है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकिया देते है कि इस जमीन पर आये तो हाथ पैर तोड कर जान से खत्म कर देंगे ओर यह भी कहते है कि तुम्हारी इस जमीन पर कब्जा करके रहेगें। इस नियत से अप्रार्थीगण ने दिनांक 28.09.2020 को रात्री में मौका पाकर कब्जा करने की नियत से प्रार्थीगण की उक्त भूमि की हंकाई करवा दी। इस कारण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वह स्वंय जरिये अन्य के माध्यम से प्रार्थीगण की उक्त भूमि के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें, जबरन लाठी के बल पर प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर प्रार्थीगण के बेदखल नही करें। यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण को अपार हानि होगी तथा अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी। अतः प्रार्थना पत्र अस्थयी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ता फैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि 348 रकबा 0.69 है0, वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है भूमि में स्वंय, एंव अन्य के माध्यम से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग, मे बाधा उत्पन्न नही करे, जबरन लाठी के बल पर कब्जा कर प्रार्थीगण को आराजी से बेदखल नही करे के लिये पाबन्द किया जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गुप्ता ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः—प्रा0 पत्र का चरण न01 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत हे स्वीकार नही है, प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपार क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रबल न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष मे सिद्व है। प्रा0 पत्र का चरण न0 2 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है स्वीकार नही है, उपरोक्त आराजियात ख0न0 348 पर पिछले 45 वर्षो से अप्रार्थीगण स0 1 पिता अर्जुनाराम पुत्र बाघाराम का कब्जा था उन्की मृत्यु के बाद अप्रार्थी स0 2 व 3 का कब्जा है। प्रा0 पत्र का चरण न0 3 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है स्वीकार नही है, जब प्रार्थीगण का विवादित जमीन पर कब्जा ही नही है तो लडाई—झगडा करने व धमकिया देने का प्रश्न ही नही उठता है। उक्त चरण मे दिनांक 28—09—2020 को रात्रि को अप्रार्थीगण ने हंकाई की थी दूसरे दिन अप्रार्थीगण वापिस खेत पर गये तब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से लडाई—झगडा किया प्रार्थीगण का जब मौके पर कब्जा ही नही है तो उन्हे अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने का कोई अधिकार नही है, प्रार्थना पत्र मे चाही गयी अधियाचना भी बिल्कुल गलत है स्वीकार नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा—खर्चा खारिज किये जोने योग्य है। विशेष आपत्तियाः—वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी सं0 1 के पिता व 3 के पति अर्जुनाराम पुत्र बाघाराम रैगर को साबिक ख0न0 327 मे 3 बीघा भूमि आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 18.05.1975 को आवंटित की गयी थी और हल्का पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा सम्भलाया गया था

तथा अर्जुनाराम ने पट्टा फीस भी जमा करा दी थी। अर्जुनाराम ने उक्त उबड़—खाबड़ आवंटित भूमि मे काफी पैसा लगाकर कृषि योग्य बनायी थी। अर्जुनाराम का देहान्त हो गया है अप्रार्थीगण न0 1 को नाबालिग अवस्था मे अपनी पत्नी की सहमति से गौद ले लिया था। प्रार्थीगण के पिता प्रहलाद पुत्र छगनलाल को साबिक ख0न0 327 मे कोई भूमि का आवंटन नही है, प्रहलाद ने सेटलमेंन्ट कर्मचारियो से मिलकर गलत रूप से उक्त जमीन को स्वयं की खातेदारी मे लगवा लिया था जबकि उसका मौके पर कब्जा नही था, सेटलमेन्ट के बाद उक्त भूमि के नये नम्बर 501 रकबा 0.69 है0 बना दिये गये थे लेकिन राजस्व गांव बन जाने के कारण उक्त भूमि के नम्बर बदल दिये गये और नये नम्बर 348 बना दिये गये प्रहलाद की मृत्यु के बाद उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी मे लग गयी है। अप्रार्थी स0 1 व 3 ने भी हाल ख0न0 348 को खातेदारी लगाने के लिऐ दावा घोषणा खातेदारी एवं दुरूस्ती इन्द्राज का माननीय न्यायालय मे पेश कर दिया है जिसमे प्रतिपक्षीगण, प्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हो गये है, जिसमे आज की तारीख पेशी नियत है। प्रार्थीगण से पूर्व अप्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय मे घोषणा खातेदारी एव दुरूस्ती इन्द्राज का दावा पेश कर दिया था जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने एक तरफा मे स्थगन आदेश माननीय न्यायालय से प्राप्त कर लिया तथा न्यायालय को गुमराह किया है, प्रार्थीगण ने जो दावा प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया था ओर जिसमे आगामी तारीख पेशी 4.11.2020 मे नियत है। शीघ्र सुनवाई का प्रा0 पत्र भी पेश कर दिया हे जिसमे भी तामीले हो चुकी है ओर उसमे आज की तारीख पेशी नियत है इस कारण दोनो मुकदमो की साथ—साथ सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थीगण का व उनके पिता का आवंटन के बाद से लगातार कब्जा चला आ रहा है, कब्जे के अभाव मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है ओर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा—खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा पेश आवंटन आदेश में नक्शा ट्रेस संलग्न नहीं किया है। क्योंकि नक्शा ट्रेस और जगह का है जिस कारण से अप्रार्थीगण ने अपनी आवंटन पत्रावली में नक्शा को जानबुझ कर हटाया है। इससे स्पष्ट है अप्रार्थीगण क्लीनहैंड से न्यायालय में नहीं आये है। सुपुर्दगीनामा ख. नं. 460 का पेश किया है जबकि हाल ख. नं. 327 से बने है। उक्त ख. नं. पर आवंटन का कोई अमल नहीं है। वर्तमान में अप्रार्थीगण को कोई पजेशन नहीं है। अप्रार्थीगण का कब्जा कहीं ओर जगह पर स्थित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को हुबहु दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी को साबिक ख. नं. 327 रकबा 3 बीघा का आवंटन किया गया जिससे ख. नं. 348 बने है। अप्रार्थीगण को ख. नं. 327 रकबा 3 बीघा का आवंटन किया गया परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं किया गया है जिसके लिए अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के इस वाद से पूर्व एक वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था परन्तु बाद में प्रार्थीगण ने

यह वाद पेश किया है। इस समय उक्त आराजी पर हमारा पजेशन है। प्रार्थीगण का ख. नं. 67 में आवंटन नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। ख. नं. 348 ख. नं. 348 रकबास 0.69 है0 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है जिसके लिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। चूंकि प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है तथा जब तक अप्रार्थीगण द्वारा दायर वाद में अथवा अन्य कारण से अन्यथा निर्णय नहीं होता है तब तक प्रार्थीगण, खातेदार की हैसियत से अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने का अधिकारी है। अतः जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 348 रकबा 0.69 है0 वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा व मजामहत उत्पन्न नहीं करे और जबरन प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर बेदखल नहीं करे। पत्रावली वाद के साथ हमफिता हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 262/2020 निर्णय दिनांक :–31.08.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. रूपा देवी पत्नि स्व. प्रहलाद जाति ब्राहमण निवासी नारिसंदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. शंकरलाल पुत्र प्रहलाद प्रहलाद जाति ब्राहमण निवासी नारिसदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. श्रवणकुमार पुत्र प्रहलाद प्रहलाद जाति ब्राहमण निवासी नारिसदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. सज्जनलाल पुत्र प्रहलाद प्रहलाद जाति ब्राहमण निवासी नारिसदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. सत्यनारायण पुत्र प्रहलाद प्रहलाद जाति ब्राहमण निवासी नारिसदा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण –

बनाम

1. रतिराम पुत्र पांचू जाति रेगर निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. सुरेन्द्र पुत्र पांचू जाति रेगर निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. देव पत्नि अर्जुनाराम जाति रेगर निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. पाचू पुत्र बाघा जाति रेगर निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0

– अप्रार्थीगण –

उपस्थिति :–

श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री अशोक कुमार गुपता
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 348 रकबा 0.69 है0 वाके ग्राम नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि से अप्रार्थीगण का कोई लेना देना सम्बंध नही है फिर भी जबरन लट्ठ के बल पर अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते है तथा लाठी के बल पर प्रार्थीगण की उक्त